

//कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल (म.प्र.)//

पृष्ठांक. 2880 / एक-11-01/75

शहडोल, दिनांक 14/08/2025

प्रतिलिपि यथाआदेश:-

1. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी
2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुढार
3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बुढार के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, बुढार
4. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुढार/कैम्प जैतपुर
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, ब्यौहारी/बुढार/जैतपुर

— की ओर कार्यालय संशोधित विविध आदेश क्र. 104 दि. 13.08.2025 की छायाप्रति संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)

//कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल(म.प्र.)//

:: संशोधित विविध आदेश ::

क्रमांक 104 /दो-11-01/75

शहडोल, दिनांक 13 /08/2025

कार्यव्यवस्था की दृष्टि से वर्ष-2025 हेतु जारी कार्यविभाजन आदेश क्र. 03 दिनांक 10.01.2025 में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है —

01. सरल क्र. 09 (अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी के संबंध में) के कॉलम नं. 04 के सरल क्र. 04 में उल्लेखित इबारत के स्थान पर "तहसील ब्यौहारी में वर्तमान एवं पूर्व में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपील एवं निगरानी की सुनवाई करना" प्रतिस्थापित किया जाता है तथा सरल क्र. 05 में उल्लेखित इबारत के स्थान पर "तहसील ब्यौहारी के थाना क्षेत्र ब्यौहारी, देवलौंद एवं पपौंध से धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम एवं अन्य अपराधों से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई करना" प्रतिस्थापित किया जाता है।

02. सरल क्र. 09 (जिला न्यायाधीश, ब्यौहारी के संबंध में) के कॉलम नं. 04 के सरल क्र. 02 में उल्लेखित इबारत के स्थान पर "व्यवहार वाद जिसमें वाद का मूल्यांकन एक करोड़ रुपये से अधिक तथा इनसे संबंधित विविध वाद एवं निष्पादन एवं अन्य मामले" प्रतिस्थापित किया जाता है तथा सरल क्र. 03 में उल्लेखित इबारत के स्थान पर "व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं—व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ब्यौहारी के वर्तमान एवं पूर्व में न्यायिक अधिकारीगण द्वारा पारित निर्णय, आदेश एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपील एवं विविध अपील" प्रतिस्थापित किया जाता है।

03. सरल क्र. 10 के कॉलम नं. 02 (आपराधिक, सिविल एवं क्लेम प्रकरणों के संबंध में) में "रिक्त न्यायालय" जोड़ा जाता है तथा कॉलम नं. 04 अनुसार आपराधिक, सिविल एवं क्लेम के संबंध में आबंटित समस्त कार्य विलोपित किया जाता है।

04. सरल क्र. 09 (जिला न्यायाधीश, ब्यौहारी के संबंध में) के कॉलम नं. 04 में सरल क्र. 13 के रूप में "जिला न्यायाधीश ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी के रिक्त न्यायालय से निर्णित सिविल प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण, निष्पादन, अन्य आवश्यक कार्य एवं रिमांड पर प्राप्त प्रकरणों की कार्यवाही" जोड़ा जाता है।

05. सरल क्र. 10 (जिला न्यायाधीश ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी के संबंध में) के कॉलम नं. 04 के सरल क्र. 04, 05 व 06 को सरल क्र. 09 (जिला न्यायाधीश, ब्यौहारी के संबंध में) के कॉलम नं. 04 में सरल क्र. 14, 15 व 16 के रूप में जोड़ा जाता है।

06. सरल क्र. 09 (क्लेम प्रकरणों के संबंध में) के कॉलम नं. 03 एवं 04 में उल्लेखित शब्द "थाना क्षेत्र" के पश्चात् 'ब्यौहारी' जोड़ा जाता है।

07. सरल क्र. 09 (क्लेम प्रकरणों के संबंध में) के कॉलम नं. 04 में सरल क्र. 02 के रूप में "अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ब्यौहारी के रिक्त न्यायालय से निर्णित क्लेम प्रकरणों से संबंधित आवेदन पत्र की विधिवत् सनुवाई एवं

निराकरण तथा अन्य आवश्यक कार्य" जोड़ा जाता है।

08. सरल क. 29 (द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बुद्धार के संबंध में) के कॉलम नं. 04 के सरल क. 02 में मूल्यांकित पांच लाख रुपये से अधिक, किन्तु एक करोड़ रुपये तक के स्थान पर "मूल्यांकित पचास लाख रुपये से अधिक, किन्तु एक करोड़ रुपये तक" प्रतिस्थापित किया जाता है।

09. सरल क. 30 एवं 32 के संबंध में पूर्व में आबंटित सिविल कार्य को विलोपित करते हुए निम्न तालिका अनुसार नवीन संशोधन किया जाता है –

30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बुद्धार के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश बुद्धार	सिविल, जिला शहडोल की तहसील बुद्धार/ जैतपुर	01. व्यवहारवाद व अन्य कार्य जो समय-समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 02. तहसील बुद्धार से संबंधित व्यवहार वाद मूल्यांकित दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक, किन्तु पचास लाख रुपये तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद व निष्पादन। 03. तहसील जैतपुर क्षेत्र से संबंधित व्यवहारवाद मूल्यांकित पांच लाख रुपये से अधिक, किन्तु एक करोड़ रु. तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद व निष्पादन। 04. तहसील जैतपुर क्षेत्र से संबंधित "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुद्धार/कैम्प कोर्ट, जैतपुर	सिविल जिला शहडोल की तहसील जैतपुर	1- व्यवहारवाद या अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2- तहसील जैतपुर क्षेत्र से संबंधित व्यवहारवाद मूल्यांकित पांच लाख रुपये तक एवं उनसे संबंधित विविध वाद व निष्पादन। 3- लघुवाद रु. 200 तक (धारा 9 के द्वारा प्राधिकृत) 4- पूर्व में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण के आदेश से उत्पन्न विविध प्रकरण, निष्पादन प्रकरण एवं अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित किया जाना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर शेष आदेश यथावत रहेगा।

(के.एन. सिंह)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 शहडोल (म.प्र.)